GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TOURISM

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.171
ANSWERED ON 22.12.2022

ISSUES OF WOMEN EMPLOYEES IN HOSPITALITY SECTOR

171. SHRI M. MOHAMED ABDULLA:

Will the Minister of **TOURISM** be pleased to state:

(a) whether Government has taken steps to create awareness about the issues faced by women employees in the hospitality sector in India, and make the sector more inclusive;
(b) if so, the details thereof; and
(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF TOURISM (SHRI G. KISHAN REDDY)

(a) to (c): A Statement is laid on the table of the House.

****

STATEMENT IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 171 ANSWERED ON 22.12.2022 REGARDING ISSUES OF WOMEN EMPLOYEES IN HOSPITALITY SECTOR.

(a) to (c): The Government engages with Hospitality Industry Stakeholders through various regulatory and voluntary measures to provide conducive environment for women employees in hospitality sector and make the sector more inclusive.

The Ministry of Tourism along with stakeholders in tourism and hospitality sector and Tourism Departments of all States and UTs, adopted the 'Code of Conduct for Safe & Honourable Tourism' on 1st July 2010.

Various provisions in the laws being administered by different Ministries of Government of India provide for safety, equal opportunity and congenial work environment for women employees. These include:

(i) The Code on Social Security, 2020
(ii) The Code on Wages 2019
(iii) Maternity Benefit Act, 1961 (as amended in 2017)
(iv) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

****

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 171

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आतिथ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे

171. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत में आतिथ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

आतिथ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे के संबंध में दिनांक 22.12.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 171 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ग) : आतिथ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने और इस क्षेत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार विभिन्न विनियामक तथा स्वैच्छिक उपायों के जरिए आतिथ्य उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है ।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के हितधारकों सहित पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों के साथ दिनांक 1 जुलाई, 2010 को 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को अपनाया था ।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित विभिन्न कानूनों में शामिल प्रावधान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके लिए समान अवसर तथा अनुकूल कार्य परिवेश प्रदान करते हैं । ये इस प्रकार हैं :

(i) सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता, 2020
(ii) वेतन संबंधी संहिता, 2019
(iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित)
(iv) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013

*****

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए उनको पर्यटन क्षेत्र में लाने वाले स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना है?

श्री अजय भट्ट : जी हाँ। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ मातृ-शक्ति चाहे कहीं की भी हो, हम हर क्षेत्र की मातृ-शक्ति को कौशल विकास की ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको यह ट्रेनिंग आईएचएम, एफसीआई, आईआईटीटीएम और आईसीआई के माध्यम से देते हैं और इसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, though my question does not relate to this subject, yet it is of grave concern. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, please confine to the question. ...*(Interruptions)*...

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, it often appears in the media...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please put your question. ...*(Interruptions)*...

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, foreign tourists are ill-treated by goons and miscreants. And, this paints a very gloomy picture of our nation abroad. I would like to know what effective steps the Government has taken or is contemplating to take in order to combat this menace.

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, आदरणीय सदस्य ने फॉरेन टूरिस्ट्स के प्रोटेक्शन और उनके सेफ पैसेज के बारे में प्रश्न पूछा है। हालांकि law and order is a state subject, फिर भी हम भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस बारे में समय-समय पर एडवाइज़रीज़ भेजते रहते हैं। इसके साथ-साथ, जो टूरिस्ट्स आते हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से हर स्टेट गवर्नमेंट में टूरिज्म पुलिस की भी व्यवस्था की जा रही है। हम उनके लिए एक टोल-फ्री नम्बर भी दे रहे हैं। आज भारत में दूसरे देशों की तुलना में कॉम्पिटिशन के नाते भी सेफ टूरिज्म का काम बढ़ रहा है। सभापति जी, आप देखेंगे कि कोविड के बाद डोमेस्टिक टूरिज्म जितना हमारे देश में बढ़ा है, उतना दुनिया के किसी भी देश में टूरिज्म नहीं बढ़ा है। सर, आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और श्रीनगर में आज़ादी के बाद पहली बार बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है।

श्री अनिल बलूनी : सभापति जी, हमारे उत्तराखंड में कुछ समय पहले एक होटल के अंदर एक महिलाकर्मी की हत्या हुई और उसके साथ दुराचार भी हुआ। उस वीभत्स कांड को देश के सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर हम सभी ने देखा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है

कि जो महिलाकर्मी राउंड द क्लॉक इस तरह के होटल्स तथा हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I have already informed the House that this is a subject of the State Government, मगर सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सी महिलाएँ काम कर रही हैं। आज सारी फ्लाइट्स में एयरहोस्टेस के नाते हण्ड्रेड परसेंट महिलाएँ काम कर रही हैं और वे होटल्स की रिसेप्शंस पर भी काम कर रही हैं। इसके साथ-साथ, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जी-20 के दृष्टिकोण से भी महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम अन्य कंट्रीज़ की लैंग्वेजेज़ भी सिखा रहे हैं। जितनी भी जी-20 कंट्रीज़ की लैंग्वेजेज़ हैं, हम महिला ड्राइवर्स को, चाहे बस ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही होटल्स में और अलग-अलग जगहों पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड की स्पेशल ट्रेनिंग देकर जी-20 के लिए तैयार कर रहे हैं। जो आइसोलेटेड इंसिडेंट होता है, उसमें ज़रूर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लगातार बातचीत करती है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, उसके कारण भारत की इमेज कम होगी और भारत में टूरिस्ट आने भी कम होंगे। महोदय, लेबर डिपार्टमेंट के जितने नॉर्म्स अदर सेक्टर्स में लागू होते हैं, वहीं नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और वही प्रोटेक्शन टूरिज्म डिपार्टमेंट के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों पर और उस महिला कर्मचारी के ऊपर भी लागू होते हैं।

श्री राघव चड्ढा : महोदय, आज मैं जो सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं...

MR. CHAIRMAN: Ask your question.

श्री राघव चड्ढा : महोदय, यह देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महोदय, पंजाब में श्री अनंतपुर साहिब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब वह पवित्र स्थान है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल, 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। वहां होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, वहां लाखों लोग मत्था टेकने जाते हैं और परमात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए गुरु साहिब के यहां मत्था टेकते हैं।

मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या वे श्री अनंतपुर साहिब को हैरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देखकर विकास कार्य कर के उसे बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैरिटेज सिटी बनाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं?

श्री जी. किशन रेड्डी : हम इस विषय पर ज़रूर ध्यान देने वाले हैं। महोदय, समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोज़ल आना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोज़ल है, तो ज़रूर करेंगे। आपने जो प्रस्तावित किया है, वह ऑलरेडी हो चुका है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 172. The questioner is not present. Any supplementaries?